

न्यायालय—प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1,
तहसील चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

(पीठासीन अधिकारी— आसिफ अहमद अब्बासी)

व्यवहार वाद क्रं.—61ए/2016
संस्थित दिनांक.—14.06.2016

1. तख्खा पुत्र दलसिंह जाति अहिरवार उम्र 56 साल,
 2. थुबना पुत्र दलसिंह जाति अहिरवार उम्र 46 साल,
 3. सोहन पुत्र दलसिंह जाति अहिरवार उम्र 43 साल,
 4. सियाराम पुत्र दलसिंह जाति अहिरवार उम्र 37 साल,
 5. रामचरण पुत्र हरपा जाति अहिरवार उम्र 51 साल,
 6. परमलाल पुत्र हरपा जाति अहिरवार उम्र 43 साल,
 7. धरमलाल पुत्र हरपा जाति अहिरवार उम्र 36 साल,
 8. मुरारी पुत्र हरपा जाति अहिरवार उम्र 28 साल,
 9. तेजाबाई बेबा हरपा जाति अहिरवार उम्र 76 साल,
 10. राधाबाई पुत्री हरपा जाति अहिरवार उम्र 35 साल,
 11. छोटे पुत्र शंकर जाति अहिरवार आयु 61 साल,
- सभी का पेशा कृषि सभी निवासीगण ग्राम नानकपुर तहसील चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

.....वादीगण

विरुद्ध

1. श्यामलाल पुत्र हिम्मतसिंह जाति लोधी आयु 59 साल,
 2. राजेन्द्र सिंह पुत्र श्यामलाल जाति लोधी 31 साल,
 3. विश्राम सिंह पुत्र श्यामलाल जाति लोधी आयु 28 साल,
 4. कली बाई पत्नी श्यामलाल जाति लोधी आयु 56 साल,
- सभी का पेशा कृषि सभी निवासीगण ग्राम कुंवरपुर तहसील चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0
5. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, जिला अशोकनगर म0प्र0

..... प्रतिवादीगण

// निर्णय //

:: आज दिनांक 31.08.2017 को पारित ::

01—यह वाद भूमि सर्वे क्रमांक 104 रक्बा 1.724 हैक्टेयर स्थित ग्राम कोटरा तहसील चंदेरी के भाग जिसे वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शों में अ,ब,स,द,इ,फ अक्षरों से लाल स्याही चिह्नित किया गया है तथा निर्णय के आगे चरणों में विवादित भूमि से संबोधित किया जा रहा हैं, पर वादीगण का संयुक्त स्वामित्व व

आधिपत्य घोषित किये जाने की घोषणात्मक सहायता सहित उक्त विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण के हस्तक्षेप को निषेधित किये जाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने बाबत् प्रस्तुत किया गया है।

02—दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि वादीगण के स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक 104 का भाग हैं। उक्त भूमि पर 70 वर्षों से वादीगण का कब्जा है तथा विवादित भूमि में वादीगण के दो कुयें व कई फलदार पेड़ लगे हुये हैं। विवादित भूमि से प्रतिवादीगण को कोई संबंध नहीं है। विवादित भूमि को प्रतिवादीगण अपनी बता कर कब्जा करने पर आमदा हैं। प्रतिवादीगण ने दिनांक 30.05.16 को विवादित भूमि पर आकर वादीगण को अश्लील गालियां दी व रोकने पर उक्त भूमि पर कब्जा करने व जान से मारने की धमकी दी। प्रतिवादीगण का कहना है कि पटवारी ने भूमि उसके नाम कर दी है तथा वह भूमि पर कब्जा कर फसल काटेंगे। मौके पर वादीगण के सामने कोई सीमाकंन नहीं हुआ। दिनांक—01.06.2016 को जब वादीगण के द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध थाने पर रिपोर्ट की गई तो भूमि संबंधि विवाद होने से न्यायालय में कार्यवाही करने की समझाईश दी गई। वादीगण को दिनांक 30.05.2016 को वाद कारण उत्पन्न हुआ, जिसके पश्चात् वाद का मूल्य 10,0000/— रुपये पर कायम करके 600 रुपये न्यायशुल्क के साथ यह वाद निर्णय के चरण क्रमांक 1 में वर्णित सहायता प्राप्त करने बाबत् प्रस्तुत किया गया।

03—प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 4 की ओर से दावे का जबाब संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने विवादित भूमि नक्शे में गलत दर्शायी हैं। वादीगण की भूमि से लग कर प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 एवं देवेन्द्र के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि सर्वे क्रमांक 107 रक्बा 2.248 हैक्टेयर हैं, जिसका पक्का नक्शा हैं। वादीगण गलत तरीके से प्रतिवादीगण के स्वत्व व अधिपत्य की भूमि पर कब्जा करना चाहता है। वादीगण संख्या में अधिक हैं तथा प्रतिवादीगण को हरीजन एक्ट में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। प्रतिवादीगण ने वादीगण को कभी गालिया नहीं दी और न ही उनकी भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया। प्रतिवादीगण ने अपने स्वत्व व अधिपत्य की भूमि सर्वे क्रमांक 107 रक्बा 2.248 हैक्टेयर का दो बार सीमाकंन कराया है तथा विधिवत अपनी भूमि पर काबिज होकर कृषि कर रहे हैं। दिनांक 19.06.2016 को वादीगण ने अपनी औरतों व अन्य साथियों के साथ विवादग्रस्त भूमि पर आकर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया और प्रतिवादी राजेंद्र को जान से मारने की धमकी दी। वादीगण, प्रतिवादीगण पर झूठा मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देते हैं। जबकि प्रतिवादीगण को वादीगण की भूमि से कोई मतलब नहीं है। दिनांक 30.05.2016 को वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ। वादीगण ने वाद मूल्याकंन राशि पर न्यायशुल्क अदा नहीं किया है तथा यह

वाद मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 257 उप धारा च व छ के अंतर्गत आने से प्रचलन योग्य नहीं है अतः दावा सब्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

04— प्रकरण में प्रकरण में मेरे पूर्व अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वादप्रश्न निर्धारित किये गये हैं। जिनके समक्ष उन पर मेरे द्वारा दिये गये निष्कर्ष अंकित हैं:—

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या वादग्रस्त भूमि जिसे वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शों में लाल स्याही से अ,ब,स,द,इ,फ के अक्षरों से चिन्हित किया गया है, वादीगण के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि सर्वे क्रमांक 104 रक्बा 1.732 है, का भाग है ?	प्रमाणित नहीं।
2.	यदि हाँ, तो क्या प्रतिवादीगण, वादीगण के स्वत्व व आधिपत्य की उक्त वादग्रस्त भूमि जिसे वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शों में लाल स्याही से अ,ब,स,द,इ,फ के रूप में दर्शाया गया है, में अवैध रूप से कब्जा कर वादीगण को वेदखल करने का प्रयास कर रहे है ?	प्रमाणित नहीं।
3.	क्या वादी के द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क पटाया है ?	प्रमाणित नहीं।
4.	क्या यह वाद मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 257 की उपधारा 'च व छ' की परिभाषा में आने के कारण प्रचलन योग्य नहीं है ?	प्रमाणित नहीं।
5.	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की कण्डिका 23 अनुसार प्रदान की गई

—सकारण निष्कर्षः—

वाद प्रश्न क्रमांक—1 का विवेचन एवं निष्कर्षः—

- 05—वादीगण के अनुसार ग्राम कोटरा तहसील चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 104 रक्बा 1.724 हैक्टेयर उनके संयुक्त स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि हैं, जिसका वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शे में दर्शाया गया भाग अ,ब,स,द,ई,फ हैं, जिस पर प्रतिवादीगण कब्जा करने के प्रयास में हैं। भूमि सर्वे क्रमांक 104 रक्बा 1.724 हैक्टेयर वादीगण के स्वत्व व अधिपत्य की भूमि है, इस संबंध में वादीगण के ओर से वर्ष 2015-16 के खसरा व खतौनी प्रदर्श-पी-1 व 2 प्रकरण में प्रस्तुत किये गये हैं जिनमें उक्त भूमि पर वादीगण के ना का इंद्राज हैं। वादीगण की ओर से प्रकरण में संबत् 2013 का खसरा प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है जिसमें उक्त भूमि सफीउल्ला, व हबीबउद्दीन के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी।
- 06—वादीगण की ओर से प्रदर्श-पी-13 का दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है जो कि उप पंजीयक कार्यालय में स्थावर संपत्ति संधारित किये गये, रजिस्टर बुक क्रमांक 1 में दिनांक-17.02.61 को की गई प्रविष्टि की सत्यप्रतिलिपि है। प्रदर्श-पी 13 के दस्तावेज से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 17.02.61 को भूमि सर्वे क्रमांक 104 रक्बा 1.724 हैक्टेयर को सफीउल्ला, हबीबउद्दीन ने 200/- रुपये प्रतिफल राशि में शंकर को विक्रय किया गया तथा उक्त विक्रय के बाद उक्त भूमि पर राजस्व अभिलेखों में शंकर पुत्र प्रथी का नाम राजस्व अभिलेखों में इंद्राज हुआ, जिसकी पुष्टि संबत 2020, 2025 एवं 2030 के खसरा के सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श-पी-10, 11 व 12 से होती है। शंकर के पश्चात् उक्त भूमि शंकर के पुत्र दलसिंह, हरपा व छोटे के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुई इसकी पुष्टि खसरा संबत् 2031 से 2035, 2036 से 2040 एवं 2041 से 2045 एवं 2046 से 2050 के खसरा की सत्यप्रतिलिपि से होती है। प्रकरण में वादीगण शंकर के ही वारिस है, जिनके नाम पर वर्तमान में सर्वे क्रमांक 104 रक्बा 1.724 हैक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, इसकी पुष्टि खसरा व खतौनी वर्ष 2015-2016 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श-पी-1 व 2 से होती है।
- 07—वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि सर्वे क्रमांक 104 रक्बा 1.724 हैक्टेयर पूर्व में हबीबउद्दीन व सफी उल्ला के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी तथा उनसे वादी क्रमांक-1 लगायत 10 के बाबा एवं वादी क्रमांक 11 के पिता शंकर के द्वारा 200/- रुपये प्रतिफल राशि में उक्त भूमि कय की गई थी तथा उक्त आधार पर वर्तमान में वादीगण का शंकर के वारिसान के रूप में सर्वे क्रमांक 104 रक्बा 1.724 हैक्टेयर पर भूमि

स्वामी अधिपत्य धारी के रूप में नाम इंद्राज चला आ रहा है। सर्वे क्रमांक 104 रक्बा 1.724 हैक्टेयर को वादीगण को स्वत्व एवं स्वामित्व की होना प्रतिवादीगण ने भी अपने अभिवचनो में स्वीकार किया है जिससे सर्वे 104 रक्बा 1.724 हैक्टेयर पर दोनो पक्षों के मध्य विवाद की स्थिति नहीं है।

08—वादीगण के अनुसार वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शों में दर्शाया गया अ,ब,स,द,प,फ अक्षरों से दर्शाया गया भाग उसके स्वत्व व अधिपत्य की भूमि सर्वे क्रमांक 104 रक्बा 1.724 हैक्टेयर का भाग है जिस पर प्रतिवादीगण कब्जा करने का प्रयास कर रहे है। अतः मुख्य रूप से यह निर्धारित किया जाना है कि वास्तव में विवादित भूमि वादी की ओर से संलग्न नक्शों में दर्शाया गया अ,ब,स,द,प,फ भाग है और यदि यह प्रमाणित होता है तो क्या अ,ब,स,द,प,फ भाग वादी की भूमि सर्वे क्रमांक 104 रक्बा 1.724 हैक्टेयर का भाग है। वादीगण की ओर से अपने समर्थन में वादी परमलाल (व0सा0—1) सहित साक्षी अमरजू (व0सा0—2) व धुव्र कुमार (व0सा0—3) के कथन न्यायालय में कराये गये।

09—वादी परमलाल (व0सा0—1) सहित साक्षी अमरजू (व0सा0—2) एवं धुव्र कुमार (व0सा0—3) का अपने सशपथ कथनो में यह कथन दिये है कि प्रतिवादीगण वादीगण के स्वत्व व अधिपत्य की भूमि में कब्जा करने के प्रयास में तथा इन साक्षियों का अपने मुख्यपरीक्षण के सशपथ कथनों में यह कहना है कि प्रतिवादीगण की भूमि में सड़क निकल जाने से उनकी जमीन कम हो गई है जिसकी पूर्ति प्रतिवादीगण, वादीगण की रक्बों में से करना चाहते हैं। यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण की भूमि सर्वे क्रमांक 107 एवं वादीगण की भूमि सर्वे क्रमांक 104 की मेढ से मेढ लगी हुई है यह प्रकरण में विवादित नहीं है तथा वादीगण की ओर से प्रस्तुत अक्श नक्शा प्रदर्श—पी—3 व 4 से भी उक्त स्थिति स्पष्ट होती है। वादीगण की ओर से दावे में यह अभिवचन नहीं किये गये कि मौके पर प्रतिवादीगण की भूमि से सड़क निकल जाने से उनकी भूमि कम हो गई, परन्तु इस संबंध में वादी परमलाल (व0सा0—1) सहित अमरजू (व0सा0—2) व धुव्र कुमार (व0सा0—3) ने न्यायालय में स्पष्ट रूप से कथन दिये हैं।

10— अतः वादी साक्षियों के उपरोक्त कथनों से यह तो स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण की भूमि सर्वे क्रमांक 107 रक्बा 2.248 हैक्टेयर है, परन्तु मोके पर प्रतिवादीगण के कब्जों में संपूर्ण रक्बा 2.248 हैक्टेयर से कम हैं। प्रतिवादीगण ने यह अभिवचन दिये है कि उनके द्वारा अपने स्वत्व व अधिपत्य की भूमि सर्वे क्रमांक 107 रक्बा 2.248 हैक्टेयर का दो बार सीमाकन कराया गया है और

सीमायें समझ कर वह अपनी भूमि पर काबिज होकर खेती कर रहे हैं, परन्तु वादीगण ही उनकी भूमि में कब्जा करने के प्रयास में हैं। प्रतिवादीगण की ओर से अपने समर्थन में प्रतिवादी श्यामलाल (प्र0सा0-1), मजबूत सिंह (प्र0सा0-3) व कृपाल सिंह (प्र0सा0-2) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं, जिनमें श्यामलाल (प्र0सा0-2) का अपने अभिवचनों की पुष्टि करते हुये अपने सशपथ कथनों में यह कहना है कि उसके द्वारा दिनांक-25.05.2016 को अपनी भूमि का सीमांकन कराया गया था और पत्थर की मुडडी गढवा दी गई थी। परन्तु वादीगण मय औरतो के उसकी भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करने लगे।

11—प्रतिवादीगण के द्वारा अपनी भूमि सर्वे क्रमांक-107 का सीमांकन कराया गया है। इस तथ्य को स्वयं वादी साक्षियों ने अपने सशपथ कथनों में स्वीकार किया है। परमलाल (व0सा0-1) ने अपने कथनों में हालांकि प्रतिवादीगण के द्वारा कराये गये सीमांकन को उसकी अनुपस्थिति में कराये जाने के कारण चुनौती दी है, परन्तु सीमांकन में क्या त्रुटि हुई है, यह वादीगण ने कहीं स्पष्ट नहीं किया। प्रतिवादीगण के द्वारा कराये गये सीमांकन की कोई अपील वादीगण के द्वारा नहीं की गई। परमलाल (व0सा0-1) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-5 में स्वयं यह स्वीकार किया है उसने उक्त सीमांकन की न तो अपील की और न ही निगरानी की। अतः वादीगण के पास प्रतिवादीगण के द्वारा कराये गये सीमांकन को चुनौती देने का कोई ठोस आधार अभिलेख पर नहीं है।

12—परमलाल (व0सा0-1) सहित साक्षी अमरजू (व0सा0-2) व धुव्र कुमार (व0सा0-3) अपने कथनों में प्रतिवादीगण की भूमि सडक में निकल जाने से प्रतिवादीगण की भूमि का रक्बा मौके पर कम होना स्वीकार करते हैं, जबकि प्रतिवादी श्यामलाल (प्र0सा0-1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट किया है कि सडक सरकारी भूमि पर डली है तथा तालाब की पार से लगकर सडक है, और उस सडक पश्चात् प्रतिवादीगण की भूमि है। इसी प्रकार कृपाल सिंह (प्र0सा0-2) मजबूत सिंह प्रसा (प्र0सा0-3) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट किया है कि सडक सरकारी जमीन पर बनी है तथा सडक के बाद प्रतिवादीगण की भूमि है। अतः प्रतिवादी साक्षियों की साक्ष्य इस संबंध में अखण्डित है कि प्रतिवादीगण की भूमि में सडक नहीं बनी है। प्रतिवादीगण की भूमि से सडक निकली है, यह साबित करने के लिये वादीगण के पास अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है।

13—परमलाल (व0सा0-1) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-3 व 4 में स्वयं यह

स्वीकार करता है, कि सीमांकन में प्रतिवादीगण की 02-2.5 बीघा जमीन पटवारी ने उनके खेत में निकाल दी है तथा मौके पर प्रतिवादीगण अपने स्वत्व की भूमि से कम रक्बे पर काबिज हैं। मौके पर यह स्थिति कई वर्षों पूर्व से है इस संबंध में कृपाल सिंह (प्र0सा0-2) मजबूत सिंह (प्र0सा0-3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जब से उन्होंने होश संभाला है, वह वादी तथा प्रतिवादीगण को ऐसे ही भूमि पर काबिज देख रहे हैं।

14-अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि मौके पर वादीगण अपने रक्बे से अधिक रक्बे पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे हैं और उक्त अधिक रक्बा ही प्रकरण में विवादित हैं जो कि वादपत्र के साथ संलग्न नक्शों में दर्शाया गया अ,ब,स,द,इ,फ भाग न होकर उसके अतिरिक्त हैं। वादी की ओर से प्रकरण में अपने समर्थन में अक्श नक्शा प्रदर्श-पी-3 एवं राजस्व नक्शों की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श-पी-4 प्रकरण में प्रस्तुत की है। जिनमें सर्वे क्रमांक 104 की नक्शों में कर्मी होना स्पष्ट होती है परन्तु राजस्व खसरो के अनुसार संलग्न नक्शों में भी सर्वे क्रमांक 104 रक्बा 1.724 हैक्टेयर हैं, यह साबित करने के लिये वादी की ओर से प्रकरण में न तो स्वयं सीमांकन ही कराया गया है और न ही उसका मौके पर रक्बा 1.724 हैक्टेयर है यह साबित करने के लिये किसी सक्षम राजस्व अधिकारी की साक्ष्य ही कराई गई।

15-अतः ऐसे में अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि दोनों पक्षों के मध्य जिस भूमि का विवाद है वो वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शों में अ,ब,स,द,इ,फ अक्षरों से चिह्नित भूमि हैं तथा उक्त भूमि सर्वे क्रमांक 104 रक्बा 1.724 हैक्टेयर में शामिल हैं। अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शों में लाल स्याही से अ,ब,स,द,इ,फ के अक्षरों से चिह्नित किया गया भाग विवादित भूमि हैं, एवं उक्त भूमि वादीगण के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि सर्वे क्रमांक 104 रक्बा 1.732 है० का भाग है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 1 प्रमाणित न होने से उसका निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक-2 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

16- वादी परमलाल (व0सा0-1) अमरजू (व0सा0-2) व धुब्रकुमार (व0सा0-3) ने यह स्वीकार किया है कि सर्वे क्रमांक 104 का वादीगण के द्वारा कभी कोई सीमांकन नहीं कराया गया बल्कि प्रतिवादीगण के द्वारा उनकी भूमि सर्वे क्रमांक 107 का सीमांकन प्रतिवादीगण के द्वारा कराया जाना इन साक्षियों ने

स्वीकार किया है। वादी परमलाल (व0सा0-1) स्वयं ही यही स्वीकार करता है कि प्रतिवादीगण के सीमाकंन में पटवारी ने प्रतिवादीगण की भूमि वादीगण की भूमि में निकाली हैं। साक्षी कृपाल सिंह, मजबूत सिंह ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अखण्डित साक्ष्य दी है कि जबसे उन्होंने होश संभाला हैं तब से उन्होंने तख्खा और श्यामलाल को जैसे वह आज वर्तमान में खेती कर रहे हैं वैसे ही खेती करते हुये देखा है, स्वयं प्रतिवादी श्यामलाल (प्र0सा0-1) का यह कहना है कि उसे सर्वे क्रमांक 104 से कोई मतलब नहीं है उसे केवल अपनी भूमि से मतलब है। वादी साक्षी धुव्रकुमार (व0सा0-3) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-6 में स्वयं यह स्वीकार किया है कि उसने सीमाकंन के पत्थर मौके पर कही कही डले देखे थे, जिससे स्पष्ट होता है कि जो सीमाकंन प्रतिवादीगण के द्वारा कराया गया उन्ही सीमा चिन्हों को नष्ट किया गया है, जो स्वयं प्रतिवादीगण के द्वारा किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

17—अतः साक्षियों के कथनों से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण मौके पर अपने रक्बे से कम भूमि पर काबिज होने के बाद भी उतने ही रक्बे पर बिना किसी विरोध के कृषि कार्य कर रहे हैं और चूंकि अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन से यह ही प्रमाणित नहीं है कि वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शों में लाल स्याही से अ,ब,स,द,इ,फ के अक्षरों से चिन्हित किया गया भाग विवादित भूमि हैं, एवं उक्त भूमि वादीगण के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि सर्वे क्रमांक 104 रक्बा 1.732 है० का भाग है, तो उपरोक्त आधार पर यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि प्रतिवादीगण वादीगण के स्वत्व व अधिपत्य की भूमि में कब्जा व हस्तक्षेप करने का कोई प्रयास कर रहे हैं। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 2 प्रमाणित न होने से उसका निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक-3 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—

- 18— प्रतिवादीगण के अभिवचनों में यह आपत्ति ली गई है कि वादी ने वाद का मूल्यांकन कम करके कम न्यायशुल्क अदा किया है। प्रस्तुत दावों में वादी के द्वारा वाद का मूल्यांकन 100000/- रुपये पर करके स्वत्व घोषणा के लिये 500/- रुपये और स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता के लिये 100/- रुपये न्यायशुल्क चस्पा किया। वादी के द्वारा वांछित सहायताओं को यदि देखे तो वादी के द्वारा निर्णय की कण्डिका-1 में वर्णित सहायतायें चाही गई हैं जिसमें वादी के द्वारा अपने स्वत्व की भूमि सर्वे क्रमांक का विवादग्रस्त विवादित भाग अ,ब,स,द,इ,फ जो कि नक्शों में लाल स्याही से चिन्हित किया गया है, पर स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता चाही गई हैं,
- 19— वादीगण के द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता स्वत्व की घोषणा परिणामिक

सहायता के रूप में चाही गई जिसके लिये पृथक-पृथक निश्चित न्यायशुल्क अदा नहीं किया जाना था बल्कि उक्त सहायता के लिये न्यायशुल्क की गणना न्यायशुल्क अधिनियम की धारा धारा- vii 4 (c) के अनुसार की जानी थी। न्यायशुल्क अधिनियम की धारा-vii 4 (c) के अनुसार न्यायशुल्क के लिये वादीगण को इप्सित अनुतोष की रकम का कथन कर उस पर मूल्य अनुसार न्यायशुल्क अदा करना था तथा न्यायशुल्क के प्रयोजन के लिये इप्सित अनुतोष और वाद का मूल्यांकन वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा-8 के अनुसार एक ही होगा। वादीगण ने इप्सित अनुतोष की रकम के लिये भूमि के लगान को आधार मूल्य न मानते हुये वाद का मूल्यांकन सीधे 10,0000/- रुपये पर किया है और चूंकि वाद मूल्यांकन अधिनियम के अनुसार न्यायशुल्क अधिनियम की धारा- vii 4 (c) की सहायता के लिये इप्सित अनुतोष की रकम का मूल्य एवं वाद का मूल्यांकन का मूल्य एक ही होगा, इसलिए न्यायशुल्क की गणना के लिये न्यायशुल्क अधिनियम की धारा-vii 4 (c) के तहत इप्सित अनुतोष की रकम 10,0000/- रुपये होगी।

- 20- अतः वादी को 100000/- रुपये पर 12 प्रतिशत की दर से कुल 12000/- रुपये न्यायशुल्क उपरोक्त अनुतोष प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत करना था जो कि प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उपरोक्त गणना के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि वादी के द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क चरपा किया गया है। जिसके संबंध में कोई न्यायशुल्क वादीगण के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 3 का निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक-4 व 5 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 21- वादी के द्वारा यह वाद भूमि सर्वे क्रमांक 104 रक्बा 1.724 हैक्टेयर के संलग्न नक्शों में दर्शाया गये विवादित भाग की स्वत्व घोषणा एवं उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण को हस्तक्षेप करने से निषेधित किये जाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने बाबत प्रस्तुत किया गया है। निश्चित रूप से विवादित भूमि वादी के स्वत्व व अधिपत्य की भूमि सर्वे क्रमांक 104 रक्बा 1.724 हैक्टेयर का हिस्सा हैं, इसके लिये सीमांकन रिपोर्ट वादी की ओर से उक्त भूमि पर अपना स्वत्व व अधिपत्य साबित करने के लिये महत्वपूर्ण साक्ष्य हो सकती थीं, परन्तु मात्र उक्त आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि इस न्यायालय को प्रकरण के विचारण का क्षेत्राधिकार नहीं है।

22— वादीगण ने अपने स्वत्व व अधिपत्य की भूमि के कुछ अंश पर स्वत्व की घोषणा सहित स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने के लिये यह वाद प्रस्तुत किया है, उक्त सहायतायें राजस्व न्यायालय देने के लिये समक्षम नहीं हैं। स्वत्व की घोषणा करने का क्षेत्राधिकार केवल सिविल न्यायालय को प्राप्त है, अतः वादीगण के द्वारा वाद पत्र में चाही गई सहायता प्रदान करने के लिये यह न्यायालय पूरी तरफ से सक्षम है। अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि यह वाद मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा-257 की उपधारा च व छ की परिधि में आने से इस न्यायालय को प्रकरण के विचारण का क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 4 प्रमाणित न होने से उसका निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

सहायता एवं वाद व्यय—

23— वादी अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपना वाद प्रमाणित करने में सफल नहीं हुआ है। जिसको देखते हुये यह वाद निरस्त किया जाता है, तथा निम्न आशय की आज्ञाप्ति पारित की जाती है।

01:— यह वाद प्रमाणित न होने से निरस्त किया जाता है।

02:— वादी व प्रतिवादीगण अपना अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

03:— अधिवक्ता शुल्क की राशि प्रत्येक दशा में भुगतान के प्रमाणीकरण के अधीन नियम 523 म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम एवं आदेश के अनुसार संगणित या जो वास्तविक रूप से भुगतान की गई हो तथा जो न्यून हो व्यय में जोड़ा जावे।

तदनुसार डिक्री की रचना की जावे।

निर्णय आज दिनांक को दिनांकित
मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित
किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र.

(आसिफ अहमद अब्बासी)
अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र.

